ए.

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम

ओ. पी. गुप्ता

(2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16734) 19 सितंबर, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:पेंशन-प्रत्यर्थी को शुरू में 1967 में राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड में सहायक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जहाँ से उनकी सेवाओं को राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहाँ उन्होंने 12 अप्रैल 1977 तक काम किया-प्रत्यर्थी ने राजस्थान राज्य में उद्योग विभाग में सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग) के रूप में नियुक्ति लेने के लिए राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से इस्तीफा दे दिया, आरपीएससी के माध्यम से चुने जाने के बाद-उच्च न्यायालय ने कहा कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से इस्तीफे से पहले प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा को पेंशन के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए-आयोजित:इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सेवा से इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त किया जा सकता है-हालाँकि, आर का उप-नियम (2)।

साबित 2 साबित 5 साबित
साबितरसाबितासाबितजसाबितससाबित्साबितथसाबितासाबितनसाबित
साबितससाबितिसाबितवसाबितिसाबितलसाबित साबितससाबितेसाबितवसाबितासाबित
साबित(साबितपसाबितेसाबितंसाबितशसाबितनसाबित)साबित
साबितनसाबितिसाबितयसाबितमसाबित,साबित
साबित 1 साबित 9 साबित 9 साबित 6 साबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित
साबितएसाबितकसाबित साबितअसाबितपसाबितवसाबितासाबितदसाबित
साबितबसाबितनसाबितासाबितयसाबितासाबित साबितगसाबितयसाबितासाबित
साबितहसाबितैसाबित-साबितउसाबितकसाबित्साबिततसाबित साबितउसाबितपसाबित-
साबितनसाबितिसाबितयसाबितमसाबित
साबितससाबित्साबितपसाबितषसाबित्साबितटसाबित
साबितकसाबितरसाबिततसाबितासाबित साबितहसाबितैसाबित साबितकसाबितिसाबित
साबितससाबितरसाबितकसाबितासाबितरसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबिततसाबितहसाबिततसाबित साबितएसाबितकसाबित साबितऔसाबितरसाबित
साबितनसाबितिसाबितयसाबितुसाबितकसाबित्साबिततसाबितिसाबित,साबित
साबितचसाबितासाबितहसाबितेसाबित साबितवसाबितहसाबित

साबितअसाबितससाबित्साबितथसाबितासाबितयसाबितीसाबित साबितहसाबितोसाबित
साबितयसाबितासाबित साबितससाबित्साबितथसाबितासाबितयसाबितीसाबित,साबित
साबितकसाबितरसाबितनसाबितेसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबितलसाबितिसाबितएसाबित साबितउसाबितचसाबितिसाबिततसाबित
साबितअसाबितनसाबितुसाबितमसाबिततसाबितिसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबितससाबितासाबितथसाबित
साबितइसाबितससाबित्साबिततसाबितीसाबितफसाबितेसाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित
साबितपसाबितिसाबितछसाबितलसाबितीसाबित साबितससाबितेसाबितवसाबितासाबित
साबितकसाबितोसाबित साबितजसाबितबसाबित्साबिततसाबित
साबितनसाबितहसाबितीसाबितंसाबित साबितकसाबितिसाबितयसाबितासाबित
साबितजसाबितासाबितएसाबितगसाबितासाबित-प्रत्यर्थीसाबित साबितनसाबितेसाबित
साबितससाबितहसाबितासाबितयसाबितकसाबित
साबितनसाबितिसाबितदसाबितेसाबितशसाबितकसाबित
साबित(साबितकसाबितृसाबितषसाबितिसाबित-
साबितउसाबितदसाबित्साबितयसाबितोसाबितगसाबित)साबित साबितकसाबितेसाबित
साबितपसाबितदसाबित साबितकसाबितेसाबित साबितलसाबितिसाबितएसाबित
साबितआसाबितवसाबितेसाबितदसाबितनसाबित
साबितकसाबितिसाबितयसाबितासाबित,साबित साबितजसाबितबसाबितकसाबितिसाबित
साबितवसाबितहसाबित
साबितरसाबितासाबितजसाबितससाबित्साबितथसाबितासाबितनसाबित
साबितरसाबितासाबितजसाबित्साबितयसाबित साबितकसाबितृसाबितषसाबितिसाबित
साबितउसाबितदसाबित्साबितयसाबितोसाबितगसाबित
साबितनसाबितिसाबितगसाबितमसाबित साबितकसाबितीसाबित
साबितससाबितेसाबितवसाबितासाबित साबितमसाबितेसाबितंसाबित
साबितथसाबितासाबित,साबित साबितजसाबितोसाबित
साबितरसाबितासाबितजसाबितससाबित्साबितथसाबितासाबितनसाबित
साबितरसाबितासाबितजसाबित्साबितयसाबित
साबितदसाबित्साबितवसाबितासाबितरसाबितासाबित साबितपसाबितूसाबितरसाबितीसाबित
साबिततसाबितरसाबितहसाबित साबितससाबितेसाबित
साबितनसाबितिसाबितयसाबितंसाबिततसाबित्साबितरसाबितिसाबिततसाबित
साबितएसाबितकसाबित साबितइसाबितकसाबितासाबितईसाबित साबितभसाबितीसाबित
साबितहसाबितैसाबित-प्रत्यर्थीसाबित साबितलसाबितगसाबितभसाबितगसाबित
साबित 2 साबित 6 साबित साबितससाबितासाबितलसाबित साबिततसाबितकसाबित
साबितकसाबितासाबितमसाबित साबितकसाबितरसाबितनसाबितेसाबित
साबितकसाबितेसाबित साबितबसाबितासाबितदसाबित
साबितससाबितेसाबितवसाबितासाबितनसाबितिसाबितवसाबितृसाबिततसाबित्साबिततसाबि
त साबितहसाबितोसाबित साबितगसाबितयसाबितासाबित साबितहसाबितैसाबित,साबित

साबितरसाबितासाबितजसाबित्साबितयसाबित
साबितइसाबितससाबित्साबिततसाबितीसाबितफसाबितेसाबित साबितससाबितेसाबित
साबितपसाबितहसाबितलसाबितेसाबित साबितपसाबितूसाबितरसाबित्साबितवसाबित
साबितअसाबितनसाबितुसाबितमसाबिततसाबितिसाबित साबितकसाबितेसाबित
साबितपसाबित्साबितरसाबितमसाबितासाबितणसाबित साबितकसाबितासाबित
साबितससाबितवसाबितासाबितलसाबित साबितनसाबितहसाबितीसाबितंसाबित
साबितउसाबितठसाबितासाबित साबितससाबितकसाबिततसाबितासाबित
साबितहसाबितैसाबित,साबित साबितऔसाबितरसाबित
साबितइसाबितससाबितलसाबितिसाबितएसाबित साबितजसाबितबसाबित
साबितनसाबितिसाबितयसाबितुसाबितकसाबित्साबिततसाबितिसाबित
साबितआसाबितरसाबितपसाबितीसाबितएसाबितससाबितससाबितीसाबित
साबितकसाबितेसाबित साबितमसाबितासाबितधसाबित्साबितयसाबितमसाबित
साबितससाबितेसाबित साबितकसाबितिसाबितससाबितीसाबित
साबितससाबितरसाबितकसाबितासाबितरसाबितीसाबित साबितपसाबितदसाबित
साबितपसाबितरसाबित साबितकसाबितीसाबित साबितगसाबितईसाबित
साबितथसाबितीसाबित-साबितयसाबितहसाबित साबितमसाबितासाबितनसाबितासाबित
साबितजसाबितासाबितनसाबितासाबित साबितचसाबितासाबितहसाबितिसाबितएसाबित
साबितकसाबितिसाबित साबितपसाबितूसाबितरसाबित्साबितवसाबित
साबितअसाबितनसाबितुसाबितमसाबिततसाबितिसाबित साबिततसाबितबसाबित
साबिततसाबितकसाबित साबितलसाबितीसाबित साबितगसाबितईसाबित
साबितथसाबितीसाबित साबितजसाबितबसाबित साबिततसाबितकसाबित
साबितकसाबितिसाबित साबितइसाबितससाबितकसाबितेसाबित
साबितवसाबितिसाबितपसाबितरसाबितीसाबिततसाबित
साबितनसाबितहसाबितीसाबितंसाबित साबितहसाबितोसाबित
साबितससाबितकसाबिततसाबितासाबित साबितथसाबितासाबित।साबितउच्च न्यायालय द्वारा नियमों के नियम 25 (2) को दी गई व्याख्या एक प्रशंसनीय व्याख्या है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

321 ए.

भारत का संविधानःराज्य कला के तहत अपने कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों से बंधा हुआ है।14 भारत के संविधान के 16 तक-अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि मनमानी कला के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।14 भारत के संविधान के 16 तक।

लेखन अधिकार क्षेत्रःभारत के संविधान के तहत राहत विवेकाधीन होने के कारण, अदालतें अपने विवेकाधिकार पर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकती हैं, जहां रिट याचिकाकर्ता की ओर से भारी देरी होती है, विशेष रूप से, जहां मांगी गई राहत दी जाती है, तो चीजें अस्थिर हो जाती हैं, जो पहले से ही निपट चुकी हैं-तत्काल मामले में, हालांकि रिट याचिका दायर करने में छह साल की देरी हुई थी, हालांकि, सीमा के कानून भारत के संविधान के Art.226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू नहीं होते हैं-प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता पेंशन का दावा कर रहा है, जो एक जीवन भर का लाभ है-पेंशन से इनकार एक निरंतर गलत है-जब सरकार द्वारा बनाए गए वित्तीय नियम जैसे कि पेंशन नियम एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम हैं, तो

बी.

सी.

डी.

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः**1.1** इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सेवा से इस्तीफे से पिछली सेवा को जब्त किया जा सकता है।हालांकि, नियमों के नियम **25** का उप-नियम **(2)** एक अपवाद बनाता है।उक्त उप-नियम स्पष्ट करता है कि सरकार के तहत एक और नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, करने के लिए उचित अनुमति के साथ इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा।प्रत्यर्थी का चयन आरपीएससी के माध्यम से किया गया था। उन्होंने सहायक निदेशक **(**कृषि-उद्योग**)** के पद के लिए आवेदन किया, जबकि वे अभी भी राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की सेवा में थे, जो पूरी तरह से राजस्थान राज्य द्वारा नियंत्रित एक इकाई भी है।प्रत्यर्थी लगभग **26** वर्षों तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद, याचिकाकर्ता-राज्य इस्तीफे से पहले पूर्व अनुमति के प्रमाण का सवाल नहीं उठा सकता है, विशेष रूप से जब आरपीएससी के माध्यम से किसी सरकारी पद पर नियुक्ति की गई थी।यह माना जाना चाहिए कि पिछली सेवा का खुलासा किया गया है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके उचित माध्यम से आवेदन किया गया है।**[**पारस **23,24,25] [328-**बी-एफ**]**

ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

323

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम ओपी गुप्ता ए

1.2 यह माना जाना चाहिए कि पूर्व अनुमति तब तक ली गई थी जब तक कि राज्य द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जा सके।हो सकता है कि रिट याचिका दायर करने में छह साल की देरी हुई हो**,** हालांकि**,** यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सीमा के कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू नहीं होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत राहत विवेकाधीन होने के कारण**,** अदालतें अपने विवेकाधिकार पर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकती हैं**,** जहां रिट याचिकाकर्ता की ओर से भारी देरी होती है**,** विशेष रूप से**,** जहां मांगी गई राहत**,** यदि दी जाती है**,** तो चीजों को अस्थिर कर देगी**,** जो पहले से ही सुलझा ली गई हैं।इस मामले में**,** प्रतिवादी**-**लिखित याचिकाकर्ता पेंशन का दावा कर रहा है**,** जो एक आजीवन लाभ है।पेंशन से इनकार करना एक निरंतर गलत है।यह न्यायालय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की कठिनाइयों से भी अनजान नहीं हो सकता है**,** जिसमें वित्तीय बाधाएं शामिल हो सकती हैं।यह स्थापित विधि है कि जब सरकार द्वारा बनाए गए वित्तीय नियम जैसे कि पेंशन नियम एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम हैं**,** तो अदालतों को उस व्याख्या की ओर झुकना चाहिए जो कर्मचारी के पक्ष में है।**[**पारस **26,27,28] [328-**एफ**-**एच**; 329-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

एन**.** सूरियाकला बनाम ए**.** मोहनदासंद ओरस। **(2007) 9** एससीसी **196:[2007] 2** एस**.** सी**.** आर**. 419;** बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनामकर्मचारी ए**.** आई**.** आर **1959** एस**.** सी**.**

ई.

633 :[1959] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 136-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[2007] 2 एससीआर **419**

पैरा **29 [1959] 2** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 136** पैरा **30** पर निर्भर था।

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16734।

2018 की डी. बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 443 में जयपुर में राजस्थान न्यायपीठ के लिए उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेशों से।

जी.

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, बी. एस. राजेश अग्रजीत, अर्पित प्रकाश, डी. के. देवेश, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

सुश्री अर्चना पाठक दवे, अवनीश दवे, सुश्री वन्या गुप्ता, कुमार प्रशांत, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

1. विलम्ब दंडनीय।

2. यह विशेष अनुमति याचिका जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2018 के डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 443 में 28 नवंबर 2019 के अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया और 2009 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5879 में 5 मई 2017 की एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को मंजूरी दी थी।3. प्रत्यर्थी को शुरू में 13 जनवरी 1967 से राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में सहायक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

बी.

सी.

4. बाद में इंजीनियरिंग बोर्ड का राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में विलय कर दिया गया।तदनुसार, प्रत्यर्थी की सेवाओं को उसी वेतनमान पर 8 जुलाई 1970 के स्थानांतरण आदेश के माध्यम से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। उन्होंने 12 अप्रैल 1977 तक लगातार राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के साथ काम किया।

डी.

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग (इसके बाद "आरपीएससी" के रूप में संदर्भित) द्वारा 16 जून 1976 को जारी एक विज्ञापन के अनुसार, प्रत्यर्थी ने सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग) के पद के लिए आवेदन किया।प्रत्यर्थी का चयन सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग), उद्योग विभाग, राजस्थान राज्य के पद के लिए किया गया था।6. प्रत्यर्थी को 7 अप्रैल 1977 के एक आदेश द्वारा सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग), उद्योग विभाग, राजस्थान राज्य के रूप में नियुक्त किया गया था।प्रत्यर्थी के अनुसार, वह 16 अप्रैल 1977 को उद्योग विभाग में सेवा में शामिल हुए।

ई.

एफ.

7. प्रत्यर्थी ने उद्योग विभाग में सेवा करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की और 30 अप्रैल 2003 को उद्योग के अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर के पद से सेवानिवृत्त हुए। हालाँकि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से प्रत्यर्थी की सेवा की अवधि को गिनते समय, याचिकाकर्ताओं ने 13 जनवरी 1967 से 12 अप्रैल 1977 (यानी वह अवधि जिसके लिए प्रत्यर्थी ने राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के लिए काम किया था) तक के कार्यकाल को नहीं गिना।

जी.

एच.

ए.

8. प्रत्यर्थी ने उद्योग विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि 13 जनवरी 1967 से 12 अप्रैल 1977 तक के उनके सेवा कार्यकाल को उनकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाए।हालाँकि, 13 जनवरी 1967 से 12 अप्रैल 1977 तक के सेवा कार्यकाल की गिनती के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

9. पीड़ित, प्रत्यर्थी ने 20 मार्च 2009 को या उसके आसपास राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष 2009 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5879 दायर की। एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए मुख्य बिंदु यह था कि क्या राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से इस्तीफे से पहले प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा को पेंशन के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए।

बी.

सी.

10. 5 मई 2017 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, एकल पीठ ने 2009 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5879 को अनुमति दी और कहा कि राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के साथ प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा, प्रत्यर्थी के पेंशन/अन्य पेंशन लाभों की गणना करते समय गिने जाने योग्य थी।

डी.

11. रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के साथ प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा की पिछली अवधि को गिनने के निर्देश के साथ किया गया था ताकि प्रत्यर्थी की कुल पेंशन योग्य सेवा की गणना की जा सके और आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पेंशन के बकाया सहित उसकी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जा सकें।प्रत्यर्थी के अनुसार, 5 मई 2017 के निर्णय और आदेश की एक प्रति 15 मई 2017 को याचिकाकर्ताओं को पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत की गई थी।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने निर्णय और आदेश का पालन नहीं किया।

ई.

एफ.

12. याचिकाकर्ता-राज्य ने डिवीजन बेंच के समक्ष 5 मई 2017 के फैसले और आदेश के खिलाफ 2018 की डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 443 के रूप में एक अपील दायर की। प्रत्यर्थी ने एक अवमानना याचिका दायर की, जो 2018 की एस. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 265 थी, जिसमें 5 मई 2017 के निर्णय और आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।यह प्रस्तुत किया गया कि निर्णय और आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को 15 मई 2017 को पंजीकृत डाक द्वारा दी गई थी।

जी.

एच.

13. 2018 की एस. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 265 में 14 मार्च 2018 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर 5 मई 2017 के फैसले और आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार को अदालत में उपस्थित होना होगा और गैर-अनुपालन के कारणों/परिस्थितियों की व्याख्या करनी होगी।

बी.

14. 28 नवंबर 2019 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 2018 की डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 443 होने की रिट अपील को खारिज कर दियाः

“..... मान लीजिए, राजस्थान कृषि अभियांत्रिकी बोर्ड के तहत प्रत्यर्थी की सेवा पेंशन योग्य थी।राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 25 (2) के अनुसार, इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा, यदि इसे उचित अनुमति के साथ, सरकार के तहत एक अन्य नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहां सेवा योग्य है।इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड के साथ प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई सेवा को सही ठहराया है और राजस्थान कृषि उद्योग निगम प्रत्यर्थी के पेंशन/अन्य पेंशन लाभों की गणना करते समय गिने जाने के लिए उत्तरदायी था।”

सी.

डी.

ई.

15. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 25 को इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित किया गया हैः

“25. इस्तीफे पर सेवा की बरामदगी

(1) किसी सेवा या पद से इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त करना शामिल है।

एफ.

(2) इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि इसे उचित अनुमति के साथ, सरकार के तहत एक और नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहां सेवा योग्य है।

जी.

(3) उप-नियम (2) के तहत आने वाले मामले में सेवा में व्यवधान, दो नियुक्तियों के अलग-अलग स्टेशनों पर होने के कारण, स्थानांतरण के नियमों के तहत स्वीकार्य जुड़ने के समय से अधिक नहीं, राहत की तारीख पर सरकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी देने या औपचारिक ए द्वारा कवर किया जाएगा।

एच.

327

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम ओ. पी. गुप्ता [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

उस सीमा तक माफी जिसके लिए अवधि उसके कारण छुट्टी द्वारा कवर नहीं की गई है।"

16. मान लीजिए, प्रत्यर्थी को शुरू में राजस्थान कृषि इंजीनियरिंग बोर्ड में सहायक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जहाँ से उनकी सेवाओं को राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 12 अप्रैल 1977 तक काम किया।इसके बाद उन्हें उद्योग विभाग में सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग) नियुक्त किया गया और उन्होंने राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से अपना इस्तीफा सौंप दिया।मान लीजिए, राजस्थान कृषि अभियांत्रिकी बोर्ड और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के तहत प्रत्यर्थी की सेवा पेंशन योग्य थी, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया था।17. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने नियमों के नियम 25 (2) का गलत अर्थ निकाला है।उन्होंने तर्क दिया कि इस्तीफे में पेंशन के उद्देश्य से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के साथ पिछली सेवा को जब्त करना शामिल है।

बी.

सी.

डी.

18. प्रत्यर्थी ने आरपीएससी के माध्यम से चुने जाने के बाद राजस्थान राज्य में उद्योग विभाग में सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग) के रूप में नियुक्ति लेने के लिए राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से इस्तीफा दे दिया।

19. उच्च न्यायालय की खंड पीठ और एकल पीठ ने सहमति व्यक्त की है।डिवीजन बेंच और उच्च न्यायालय की एकल बेंच का प्रभावी और समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष, कि प्रत्यर्थी ने सरकार के तहत एक और नियुक्ति करने के लिए उचित अनुमति के साथ इस्तीफा दे दिया था, जिसके लिए वह योग्य था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।20. डॉ. सिंघवी ने दृढ़ता से तर्क दिया किः

ई.

एफ.

i. प्रत्यर्थी द्वारा छह साल बाद रिट याचिका दायर की गई थी।ii. प्रत्यर्थी को उद्योग विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया था।इस प्रकार उनकी पिछली नौकरी महत्वहीन थी।

जी.

iii.राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से इस्तीफे से पहले पूर्व अनुमति का कोई प्रमाण नहीं था।

21. डॉ. सिंघवी ने कहा कि यह नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी जिसके लिए पिछली सेवा अप्रासंगिक थी।डॉ. सिंघवी,

एच.

दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि, सेवा न्यायशास्त्र में, त्यागपत्र अनिवार्य रूप से सेवा से समाप्ति की ओर ले जाता है और पिछली सेवा को जब्त कर लेता है।राज्य द्वारा लिया गया रुख मनमाना, अनुचित और गलत है।22. राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के तहत अपने कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों से बंधा हुआ है।अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि मनमानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

बी.

23. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सेवा से इस्तीफे से पिछली सेवा को जब्त किया जा सकता है।हालांकि, नियमों के नियम 25 का उप-नियम (2) एक अपवाद बनाता है।उक्त उप-नियम स्पष्ट करता है कि सरकार के तहत एक और नियुक्ति, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, करने के लिए उचित अनुमति के साथ इस्तीफे में पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा।

सी.

24. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि प्रत्यर्थी का चयन आरपीएससी के माध्यम से किया गया था। उन्होंने सहायक निदेशक (कृषि-उद्योग) के पद के लिए आवेदन

किया, जबकि वे अभी भी राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की सेवा में थे, जो पूरी तरह से राजस्थान राज्य द्वारा नियंत्रित एक इकाई भी है।

डी.

25. प्रत्यर्थी लगभग 26 वर्षों तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त होने के बाद, याचिकाकर्ता-राज्य इस्तीफे से पहले पूर्व अनुमति के प्रमाण का सवाल नहीं उठा सकता है, विशेष रूप से जब आरपीएससी के माध्यम से किसी सरकारी पद पर नियुक्ति की गई थी।यह माना जाना चाहिए कि पिछली सेवा का खुलासा किया गया है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करके उचित माध्यम से आवेदन किया गया है।26. यह माना जाना चाहिए कि पूर्व अनुमति तब तक ली गई थी जब तक कि राज्य द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जा सके।हो सकता है कि रिट याचिका दायर करने में छह साल की देरी हुई हो, हालांकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सीमा के कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू नहीं होते हैं।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत विवेकाधीन होने के कारण, अदालतें अपने विवेकाधिकार पर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकती हैं, जहां रिट याचिकाकर्ता की ओर से भारी देरी होती है, विशेष रूप से, जहां मांगी गई राहत, यदि दी जाती है, तो चीजों को अस्थिर कर देगी, जो पहले से ही सुलझा ली गई हैं।

ई.

एफ.

जी.

27. इस मामले में, प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता पेंशन का दावा कर रहा है, जो एक आजीवन लाभ है।पेंशन से इनकार करना एक निरंतर गलत है।यह न्यायालय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की कठिनाइयों से भी अनजान नहीं हो सकता है, जिसमें वित्तीय बाधाएं शामिल हो सकती हैं।

एच.

ए.

28. यह स्थापित विधि है कि जब सरकार द्वारा बनाए गए वित्तीय नियम जैसे कि पेंशन नियम एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम हैं, तो अदालतों को उस व्याख्या की ओर झुकना चाहिए जो कर्मचारी के पक्ष में है।

29. प्रत्यर्थी की ओर से पेश अधिवक्ता सुश्री अर्चना पाठक दवे ने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 अपील का एक नियमित मंच नहीं बनाता है।यह केवल एक अवशिष्ट प्रावधान है जो इस न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि इस न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार में कहा है।

बी.

एन. सुरियाकला बनाम ए. मोहनदास और अन्य। **1. 30.**बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड का हवाला देते हुए।

सी.

v. कर्मचारी 2, सुश्री डेव ने तर्क दिया कि चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति विवेकाधीन थी, इसलिए यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत एक आदेश को रद्द करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही वह कानून के अनुरूप न हो।

31. उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर स्वीकृत तथ्यों पर लागू नियमों के नियम 25 (2) की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के आधार पर एक न्यायसंगत निर्णय दिया है।उच्च न्यायालय द्वारा नियमों के नियम 25 (2) को दी गई व्याख्या एक प्रशंसनीय व्याख्या है।

डी.

32. इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

ई.

33. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

देविका गुजराल

एसएलपी खारिज कर दी गई।

एफ.

जी.

1 (2007) 9 एस. सी. सी 196

2 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 633 (635 पर)

एच.